FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

..ज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी..........

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. जवाराराम पुत्र रामाराम जाति गरूडा निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. मांगाराम पुत्र माधाराम जाति गरूडा निवासी लूणवा जागीर 2. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी 3. उपपंजीयक गुड़ामालानी 4. तहसीलदार गुड़ामालानी

किस्म मुकदमा......धारा 212 रा.का.अ. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. मु0नं0.....20./24.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुक्म की तामील मेंजारी
08.01.2024	प्रार्थी जवाराराम की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री गंगाराम चौधरी द्वारा विप्रार्थीगण मांगाराम वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि तहसील गुडामालानी पटवार क्षेत्र लूणवा जागीर के राजस्व ग्राम लूणवा जागीर में खेत खसरा नम्बर 521 रकबा 0.6637 हैक्टेयर की आयी हुई है। राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान के हिस्से खुले हुए हैं हक हिस्से अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त हैं। मौके पर विधिक बंटवाडा नहीं होने से तथा भूमि की कीमतों में बढोतरी के कारण विप्रार्थीगण प्रार्थी द्वारा उपजाऊ बनाई भूमि पर जबरन कब्जा कर अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है जिससे अपना हिस्सा अलग कर विभाजन हेतु प्रार्थी द्वारा वाद न्यायालय में पेश किया किया गया हैं। मूल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाराम चौधरी से एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड अनुसार विवादित आराजी प्रार्थी व विप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस अनुसार विप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में निहित है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी तहसील गुडामालानी पटवार क्षेत्र लूणवा जागीर के राजस्व ग्राम लूणवा जागीर के खेत खसरा नम्बर 521 रकबा 0.6637 है. भूमि के रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। वकील प्रार्थी विप्रार्थीगण को सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कर रसीद तीन दिवस में पेश करे। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 28.02.2024 को मूल वाद के साथ पेश हो। (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि:- 1. तहसीलदार गुडामालानी 2. प्रार्थीगण / विप्रार्थीगण (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.11 12:44:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

सेवामें,

28/3/24 पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्य में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 8/4/24 को पेश हो।

08/04/24. पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी निगरानीकर्ता की तामील हेतु रिपोर्ट पेश करने का समय चाहते हैं। समय दिया जाता है। पत्रावली वास्ते और तामील दि० 6/5/24 को पेश हो।

525
6/5/24

06/05/24 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी निगरानीकर्ता के समक्ष डाक द्वारा भेजने का एक और समय चाहते हैं। समय दिया जाता है। पत्रावली वास्ते और तामील दिनांक 14/06/2024 को पेश हो।

15/05/24 - वादी व वादी के अधिवक्ता के निवेदन पर इस्तगासा उनवान प्रकरण आज सुनवाई हेतु लिया गया। चूंकि वादी द्वारा मूल वाद जरिये राजीनामा विड्रॉल क्लेम करना लिया है जिससे अब इस प्रकरण में कोई अनुतोष शेष नहीं रहा है अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 08/04/2024 निरस्त की जाकर प्रकरण जरिये राजीनामा [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

जवाहराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.11 13:44:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner